उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

संख्या-60/2017/1956/92-1-2017-8(अधि0)/2017,

लखनऊ: दिनांक: 12 जुलाई, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से कार्यालय-ज्ञाप संख्या-51/2017/1941/92-1-2017-8(अधि0)/2017, दिनांक 12-7-2017 को निरस्त करते हुये श्री वीरपाल राजपूत, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-जालौन को जनहित में स्थानांतरित करते हुये ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-बलिया में एतद्द्वारा तैनात किया जाता है तथा श्री राजपूत को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है।

2- श्री वीरपाल राजपूत अपनी नवीन तैनाती के स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करते हुए कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3- उक्त अतिरिक्त कार्यभार अत्यन्त अस्थाई प्रबन्धन व्यवस्था के अन्तर्गत है एवं उक्त अतिरिक्त कार्यभार हेतु उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता आदि देय नहीं होगा।

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-60/2017/1956(1)/92-1-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
3- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
7- संबंधित अधिशासी अभियंता द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2
9- कम्प्यूटर अंकन प्रति।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम रतन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in